राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कन्हैयालाल बनाम डॉ. बैजनाथ 557/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दिनांक 25/05/2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गयी	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के आधार पर अपील के इस स्तर पर प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी के माध्यम से संसोधन किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है	अत: प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी ख़ारिज किया जाता है	तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र धारा-96 एवं अपील मीमो पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/04/2026 को पेश हो		
06/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा नक्शा दुरुस्तीकरण का इस आशय का पेश किया कि ग्राम बामनवाटी पटवार हल्का महंगी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अराजियात कृषि भूमि खसरा नं0 15 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 17 रकबा 2.35 हैक्टेयर, 18 रकबा 0.86 हैक्टेयर, 19 रकबा 0.64 हैक्टेयर, 20 रकबा 2.02 हैक्टेयर तथा 217 रकबा 1.56 हैक्टेयर, 218 रकबा 0.30 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता, 219 रकबा 1.25 हैक्टेयर अनुसार व खसरा नं. 220 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 224 रकबा 1.24 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 225 अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीमशुदा होकर स्थित है, जिनमें खसरा नं. 217 व 219 के मध्य से होकर वादी के खातेदारी गै. मु. रास्ता खसरा नं. 218 रकबा 0.30 हैक्टेयर की तरमीम कर दिया गया है, जिससे वादी की भूमि कृर्षि भूमियां इकजाईज नही होकर दो अलग अलग भागों में अनावश्यक रूप से विखण्डित हो रही हैं। वादी ने आने जाने के लिये अपनी उक्त भूमियों के बाहरी हिस्से में से 30 फिट चौडाई अनुसार मुर्रम की 3 फिट उंची सडक बना दी थी। लेकिन इसी बीच नये सेटलमेंट में पुराने खसरे के बीच पगडंडी को नया खसरा नं. 218 अनुसार गै.मु.रास्ता बना दिया गया। वादी ने अपने वाद कथनों के समर्थन में नजरी नक्शा प्रस्तुत कर कथन किया कि गै.मु.रास्ता खसरा नं. 218 के प्रदर्शित रास्ते द्वारा वादी के खातेदारी भूमि को दो भागो में विभाजित करते हुए राजस्व नक्शे में त्रुटिपूर्ण तरमीम है। खसरा नं. 218 वादी की कृषि भूमि को दो भागों में विभाजित कर देता है, जिससे आधी जमीन को जंगली जानवरों व मवेशियों से सुरक्षित रखना असम्भव है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कन्हैयालाल बनाम डॉ. बैजनाथ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

557/2025

जिसके कारण प्रार्थी की भूमि दो अलग अलग भागों में विखण्डित होने से प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि में काश्त करने में तथा मौके जंगली पशुओं एवं आवारा पशुओं से सुरक्षा करने में अनावश्यक बाधा हो रही है तथा वादी अपनी भूमि के चारों ओर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल रखने से बाधित होकर वंचित है, जबकि मौके पर उक्त प्रकार से खसरा नं0 218 का रास्ता खसरा नं. 224 के पूर्वी मेड से होकर उत्तरी ओर खसरा नं. 225 की पूर्वी फिर उत्तरी सीमा मेड के लगवा होकर नजरी नक्शे अनुसार खसरा नं. 217 के पूर्वी सीमा मेड के लगवा अनुसार उत्तर दिशा की ओर निकलता है, जिसके अनुसार ही मौके पर चालू रास्ता मार्क "क ख ग घ" अनुसार है। जो कि उक्त मौके पर मार्क "क ख ग घ" अनुसार चालू रास्ता भी वादी की भूमि में से होकर ही स्थित है तथा खसरा नं. 218 अनुसार रास्ता भी वादी के खातेदारी में है, जिसके संबंध में मौके पर कोई विवाद नहीं है। वादी के अधिकारों व कब्जे के विपिरित खसरा नं. 218 का रास्ता राजस्व नक्शे में त्रुटिपूर्ण तरमीम है। जो कि खसरा नं. 218 के रास्ते के रूप में गलत व त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त कराने एवं मुताबिक मौके पर चालू रास्ते अनुसर रकबा बरारी के तहत पुनः तरमीम कायम कराने का वादी अधिकारी है। वादी की कृर्षि व खातेदारी भूमियों के किनारे किनारे तरमीम होने से वादी की भूमियां मौके पर इकजाईज होकर अनावश्यक बाधा रहित कृर्षि योग्य रहेगी। वादी ने न केवल अपनी ही जमीन में से 30 फिट चौडा मुर्रम का रास्ता बनाकर दिया है, बल्कि खसरा नं. 217 के 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि के त्रिकोणीय पूर्वी हिस्से में 10 से 15 फिट गहरा वर्षाजल संग्रहण के लिए पशुओं के पीने की पानी के लिए भी बना दिया है, जिसमें आसपास के मवशियों व वन्य जीवों को पीने का पानी मिल सकेगा। हाल नवीन राजस्व मेप में सीधा रास्ता तरमीम कर दर्शाया गया। वादी ने अपनी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व नक्शे में विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई टेक्नीकल गलती को दूरूस्ती हेतु नियिमित दावा पेश कर घोषणा हक अधिकार व राजस्व नक्शा तरमीम दुरूस्ती हेतु मुकदमा पेश किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 की और से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 08/04/2022 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री कर दिया गया | जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद एवं प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कन्हैयालाल बनाम डॉ. बैजनाथ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	557/2025	

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | चूँकि अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है, ऐसेमें प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी का सर्वप्रथम निस्तारण किया जाना विधिअनुसार आवश्यक समझा जाता है | अत: प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी पर उभयपक्षों द्वारा उद्धरित तथ्यों का मनन किया एवं प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी का मय पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे रेस्पो. द्वारा की गयी बहस उचित प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से अपीलार्थीगण को कोई हानि कारित नही हो रही है एवं इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण द्वारा अपनी भूमि को जरिये विक्रय इकरारनामा अन्यत्र बैचान/हस्तान्तरित किया जा चुका है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार योग्य जाहिर नही होता है |

अत: अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है | फलस्वरूप अपील अपीलार्थीगण भी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर